

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 115/2017

अनोपवाई पति भगना गुर्जर
नि. अजीतपुरा

बनाम (1) हरलाल पिता रौडू गुर्जर उम्र ८५स्क नि. रूपतला
(2) जयरात्र पिता गोरू गुर्जर नि. अजीतपुरा
(3) गणेश पिता गोरू गुर्जर नि. अजीतपुरा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~अनोपवाई पति भगना गुर्जर~~ ने जरिये अभिभाषक
श्री ~~D.K. पौरवाल~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त
खाते की भूमि ग्राम ~~रूपतलाई~~ प0ह0 बीकरण तह0 माण्डलगढ में आराजीन0

~~375/12 रकबा 2 बीघा~~

किता 1 रकबा 2 बीघा बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे
साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0कट स्वीकार किया जाकर
ग्राम ~~रूपतलाई~~ की आराजी न0 ~~375/12 रकबा 2 बीघा~~

रकबा 2 बीघा बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने
के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
कमीशनर फीस 2001- /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार,
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी